न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./02/2025

1. श्रीनिवास पुत्र चम्पा
2. मुस0 राजेन्द्री वेवा चम्पा

} जाति गूजर निवासी पिदावली तहसील बयाना जिला भरतपुर

3. सुमन पुत्री चम्पा पत्नि सोरन
4. हेमलता पुत्री चम्पा पत्नि सतीश

} जाति गूजर निवासी ढाकरोली तहसील कठूमर जिला अलवर (राज.)

.....प्रार्थी0

बनाम

1. विपतीराम उर्फ यदुवीर पुत्र खचैरा
2. भगवान सिहं
3. करनसिहं
4. अर्जुन
5. चरन सिहं

} पुत्रान विपतीराम उर्फ यदुवीर } जाति गूजर निवासी पिदावली, तहसील बयाना जिला भरतपुर

6. वैजन्ती पुत्री विपतीराम पत्नि महावीर जाति गूजर निवासी मडौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर
7. तहसीलदार बयाना

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अंतर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रकरण सं0 78/2017 उनवानी श्रीनिवास वगै0 बनाम विपतीराम वगै0 विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी बयाना

उपस्थितः—
1—श्री दिनेश शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
2—श्री हनुमान प्रसाद अभिभाषक अप्रार्थी 1 लगा. 6
3—पैरोकार सरकार —7

निर्णय

दिनांक 19.03.2025

प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण वखिलाफ उपखण्ड अधिकारी बयाना इस आशय का पेश किया गया, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध विभाजन का एक दावा न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना में विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा नजदीक तारीख पेशी दी जा रही हैं साथ ही अप्रार्थीगण ने अपने ग्राम पिदावली तहसील बयाना में चिल्ला चिल्ला कर गॉव के व्यक्तियों के सामने स्पष्टरूप से धमकी दी है कि अप्रार्थीगण की एस.डी.एम. बयाना के रीडर से बात हो गई हैं। वह पीठासीन अधिकारी से मिलकर न्यायालय में विचाराधीन दावा को खारिज करा देगा तथा खारिज होते ही आराजीयात की स्थिति मोहर तरह से प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण बदल देंगे, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना में विचाराधीन दावा को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की गई है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। उपखण्ड अधिकारी बयाना से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी बयाना से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना में एक दावा बटवारे का विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा नजदीक तारीख पेशी दी जा रही हैं साथ ही अप्रार्थीगण ने अपने ग्राम पिदावली तहसील बयाना में चिल्ला चिल्ला कर गॉव के व्यक्तियों के सामने स्पष्टरूप से धमकी दी है कि अप्रार्थीगण की एस.डी.एम. बयाना के रीडर से बात हो गई हैं। वह पीठासीन अधिकारी से मिलकर न्यायालय में विचाराधीन दावा को खारिज करा देगा तथा खारिज होते ही आराजीयात की स्थिति मोहर तरह से प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण बदल देंगे, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना में विचाराधीन दावा को किसी अन्य दीगर न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की गई है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि मुन्तकिली प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। यह स्वीकार है कि विभाजन का एक दावा न्यायालय उपखण्डाधिकारी वयाना में विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या एक ने उपखण्डाधिकारी बयाना के रीडर से ना ही कोई बातचीत की है और ना ही गॉव में कोई धमकी दी है सारे तथ्य असत्य एवं मनगढन्त है। जो भी आरोप लगाये गये हैं वे झूठे एवं प्रार्थी की दिमाक की उपज है। प्रार्थना पत्र प्रकरण को देरीना करने की नियत से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के कथनों पर मनन किया। उपखण्डाधिकारी बयाना से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा मौखिक लगाये गये आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उसके कथनों को बल मिलता हो। प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र का मकसद केवल तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा को देरीना की नियत से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी बयाना को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर